न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 130/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. पूरण पुत्र स्व0 श्योनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम बूढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर

:------ अपीलांट

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर

2 लैंड होल्डर तहसीलदार, बहरोड

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,बहरोड

दिनांक 23.5.2018

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री अमरचन्द चौधरी

दूसरी अपील

अपील संख्या :– 132/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. पूरणसिंह पुत्र स्व0 श्योनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम बूढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------- अपीलांट

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर

:----------रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,बहरोड
दिनांक 23.5.18

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री अमरचन्द चौधरी

निर्णय दिनांक 25.03.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 उपरोक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार एक समान है । इसलिये इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहत अदालत में दावा संख्या 78/08 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आराजी खसरा नम्बर हाल 63 रकबा 48 एयर व 138 रकबा 27 एयर वाके ग्राम बूढ़वाल तहसील बहरोड विवादित है । हाल खसरा नम्बर 63 साबिक खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से कायम हुआ है तथा खसरा नम्बर 138 साबिक खसरा नम्बर 104 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा से कायम हुआ है । हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 48 एयर का तबादला वादी ने बंदोबस्त सम्वत 2042 से पूर्व ही रतीराम से कर लिया । मौके पर हाल खसरा नम्बर का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ही है । इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 138 का तबादला वादी ने चिरन्जीलाल, रामावतार, लाला पुत्रान उमराव से कर लिया । इसका रकबा भी मौके पर साबिक अनुसार 01 बीघा 03 बिस्वा ही है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में हाल खसरा नम्बर 63 का रकबा साबिक अनुसार रेकार्ड में 52 एयर के स्थान पर 48 एयर दर्ज कर दिया । इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 138 का 29 एयर के स्थान पर 27 एयर दर्ज कर दिया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.5.18 के द्वारा खारिज किया है,जिसकी अपील संख्या 132/18 अदालत हाजा में वादी ने प्रस्तुत की है ।

3 इसी प्रकार वादी पूरण ने तहत अदालत में वाद पत्र संख्या 1046/15 प्रस्तुत कर निवेंदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 64 रकबा 49 एयर वाके ग्राम बूढ़वाल तहसील बहरोड में स्थित है । बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 42 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से तथा उक्त साबिक खसरा नम्बर 42 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा साबिक बंदोबस्त सम्वत 2020 में साबिक खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से कायम किया गया है । उक्त आराजी वादी की खातेदारी की है । मौके पर वादी पूर्ण रकबे पर काबिज है। परन्तु हाल बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी का रकबा 54 एयर के स्थान पर 49 एयर दर्ज कर दिया । वादी का कम हुआ रकबा दीगर आराजी में मिला दिया गया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.5.18 द्वारा खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

किया है,जिसकी अपील संख्या 130/18 वादी ने अदालत हाजा में प्रस्तुत की है ।

4 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि बंदोबस्त विभाग को किसी खातेदार की भूमि का रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं है । बंदोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राज के अनुसार ही हाल इन्द्राज करने का अधिकार है । बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के हमारी खातेदारी की भूमि का रकबा कम दर्ज कर दिया । जबकि मौके पर हम पूर्ण रकबे पर काबिज है। केवल राजस्व रेकार्ड में रकबा कम दर्ज कर दिया । हमने हमारे वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । फिर भी हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अभिकथन किया कि वादी अपीलांट ने यह नहीं बताया है कि उसका कम हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है । अगर किसी निजी खातेदार की भूमि में वादी का रकबा शामिल कर दिया गया है तो उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिये था । वादी को अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं को साबित करना होता है । वादी अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद साबित नहीं कर पाया है । इसलिये सही तौर पर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों का भी अवलोकन किया । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णयों में मात्र इतना सा लिखा है कि वादी ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उसका कम हुआ रकबा किस आराजी में है, वाद अस्पष्ट होने के कारण खारिज किया जाता है । तहत अदालत का यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में आदेश 14 नियम 01 के परिप्रेक्ष्य में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर विवाधक विरचित किये जाने चाहिये तथा आदेश 20 नियम 05 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। परन्तु तहत अदालत ने सी0 पी0 सी0 के उपरोक्त प्रावधानों का पालना नहीं किया और मात्र 2 लाईन का विवेचन कर वाद पत्र का निस्तारण कर दिया,जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

लिहाजा सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वो दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करें । तत्पश्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष दिनांक 26.04.21 को सुनवाई हेतु तहत अदालत में उपस्थित हों।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर